

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

कम सं. पी सी -VI/227
सं. पी सी- VI/2008/I/7/2/1

आर बी ई सं.139/2010
नई दिल्ली, दिनांक 22.9.2010

महाप्रबंधक/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी(आर)
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां
(डाक सूची के अनुसार)

विषय : रेल कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की अदायगी - 01.07.2010 से
लागू संशोधित दरें।

कृपया ऊपर उल्लिखित विषय पर इस मंत्रालय के दिनांक 26.03.2010 के समसंख्यक पत्र (कम सं. पी सी -VI/194 आरबीई सं.45/2010) का अवलोकन करें। राष्ट्रपति जी ने सहर्ष यह निर्णय लिया है कि रेल कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ता 01 जुलाई, 2010 से 35% की मौजूदा दर से 45% तक बढ़ा दिया जाएगा।

2. इस मंत्रालय के 09.09.2008 के समसंख्यक पत्र (कम सं. पी सी -VI/3 आरबीई सं. 106/2008)के पैरा 3, 4 एवं 5 में निहित उपबंध इन आदेशों के अंतर्गत महंगाई भत्ते का विनियमन करते समय लागू किए जाते रहेंगे।

3. इन आदेशों के तहत देय महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त का भुगतान समस्त रेल कर्मचारियों को नकद रूप में किया जाएगा। बकाया राशि को सितम्बर 2010 के वेतन बिल में प्रभारित किया जाए और इस प्रयोजन हेतु अलग बिल बनाने के लिए कोई मानदेय देय नहीं है।

4. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।




(हरि कृष्ण)

निदेशक, वेतन आयोग-II,
रेलवे बोर्ड

सं. पी सी- VI/2008/I/7/2/1

नई दिल्ली, दिनांक 22.9.2010

प्रतिलिपि भारत के उपनियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (रेलें) कमरा नं.224 रेल भवन, नई दिल्ली
(40 अतिरिक्त प्रतियां सहित)


कृते वित्त आयुक्त/रेलें

Government of India/ भारत सरकार
Ministry of Railways/ रेल मंत्रालय
(Railway Board/ रेलवे बोर्ड)

S.No.PC-VI/227
No. PC-VI/2008/II/7/2/1

RBE No. 139 /2010
New Delhi, dated 22.9.2010

The GMs/CAO(R),
All Indian Railways & Production Units
(as per mailing list)


Sub: Payment of Dearness Allowance to Railway employees – Revised rates effective from 01.07.2010.

Please refer to this Ministry's letter of even number dated 26.03.2010 (S.No PC-VI/194, RBE No.45/2010) on the subject mentioned above. The President is pleased to decide that the Dearness Allowance payable to Railway employees shall be enhanced from the existing rate of 35% to 45% with effect from 1st July, 2010.

2. The provisions contained in Paras 3, 4 & 5 of this Ministry's letter of even number dated 09.09.2008 (S.No.PC-VI/3, RBE No. 106/2008) shall continue to be applicable while regulating Dearness Allowance under these orders.

3. The additional installment of Dearness Allowance payable under these orders shall be paid in cash to all railway employees. The arrears may be charged to the salary bill for September, 2010 and no honorarium is payable for preparing separate bill for this purpose.

4. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.


22⁹
2010

(Hari Krishan)

Director, Pay Commission II
Railway Board.

No.PC-VI/2008/II/7/2/1

New Delhi, dated 22.9.2010

Copy to Deputy Comptroller and Auditor General of India (Railways), Room No.224 Rail Bhavan, New Delhi (with 40 spares).


for Financial Commissioner/Railways.